



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28112025-268054
CG-DL-E-28112025-268054

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5197]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 24, 2025/अग्रहायण 3, 1947

No. 5197]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 24, 2025/AGRAHAYANA 3, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 नवम्बर, 2025

का.आ. 5373(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, आंध्र प्रदेश राज्य के अन्नमयया जिलों में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या.42 कि.मी.204/200 से कि.मी.205/200 पर लेवल क्रासिंग संख्या.64 पर कि.मी.204/600 के स्थान पर आर यु बि निर्माण प्रबंधन, प्रचलन और आरक्षण हेतु उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गावों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

आंध्र प्रदेश राज्य के अन्नमयया जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-42 कि.मी.204/200 से कि.मी.205/200 के पर लेवल क्रासिंग संख्या.64 पर कि.मी.204/600 के स्थान पर आर यु बि निर्माण के संबंध में तत्काल भूमि का अधिग्रहण

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7

1	सुब कलेक्टर, मदनपल्ली	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH42 के कि.मी 204.2 से कि.मी 205.2 तक	आंध्र प्रदेश	अन्नमयया	मोलाकला चेरुवु	1	मोलाकाला चेरुवु
						2	कदिरि नधुनी कोटा

[फा. सं. NH-15017/17/2025-P&M]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th November, 2025

S.O. 5373(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk/Mandals and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for building, maintenance, management and operation from Km.204/200 to Km.205/200 of Construction of RUB on National Highway No.42 in lieu of existing level crossing No.64 at Km.204/600 in Annamayya District in the state of ANDHRA PRADESH.

SCHEDULE

Acquisition of land in respect of Construction of RUB on National Highway No.42 from Km.204/200 to Km.205/200 in lieu of level crossing No.64 at Km.204/600 in Annamayya District in the state of ANDHRA PRADESH.

Sl. No. 1	CALA 2	Stretch 3	State 4	District 5	Taluk/Mandal 6	Name of the Village 7
1	Sub Collector, Madanapalle	NH42 KM 204.2 TO KM 205.2	ANDHRA PRADESH	Annamayya	Molakala Cheruvu	1 Molakala Cheruvu 2 Kadiri Nadhuni kota

[F. No. NH-15017/17/2025-P&M]

SHAIKH AMINKHAN, Director